

दिनांक 02/21  
 हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
 आतरीति/पन्दिम/106

10.5.22  
 करीब फरवरी 2022 के दिनांक  
 कागज नं 1-4 के जोर से  
 जकाज 200 फरवरी के प्रमाण  
 दिनांक जाकर फरवरी के प्रमाण  
 200 फरवरी के प्रमाण दिनांक  
 09.08.22 के प्रमाण के

22/09/22  
 पत्रावली पैरा हुई। वकील अमरपत्रकार मय वकील  
 उपस्थित। पत्रावली स्टै प्रॉबना पत्र में बट्स सुनी गई।  
 वहाँ आदेश पत्रावली दिनांक 20/09/22 के पैरा है।

30/09/22  
 पत्रावली पैरा हुई अमरपत्रकार मय वकील उपस्थित। वकील  
 वकील/प्रार्थी के बयान कि अप्रार्थी के दिनांक 27.05.21 के  
 आरजी नं 2033/4.72 पर कानूनी रण से  
 नीचे खींचने प्रस्ताव निर्माण शुरू कर दिया था जिससे  
 प्रार्थी के बयान नं 2057/0.23 में जारी जारी पर  
 व्यवधान गरिह होता है अतः न्यायालय द्वारा 29/9/21  
 के उपस्थित/गैरस्थापन के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी  
 की गई। अतः जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत कानून  
 के अन्तर्गत अप्रार्थी के बयान कि अप्रार्थी के कोई कब्जा  
 नहीं मिला है बल्कि स्वयं प्रार्थी के आरजी नं 2057  
 के अन्तर्गत दिशा के आन राज्य पर अतिक्रमण कर अप्रार्थी  
 के स्वयं के खींचे बयान नं 2054/0.26 पर जारी  
 के व्यवधान पैदा नहीं है। अतः जारी निषेधाज्ञा के  
 प्रभाव मुक्त मिला जाना चाहिए।  
 दिनांक पेश की बट्स सुनी के बाद एवं नम्बरा 21 व  
 किट के आधार पर दिनांक पेश प्रार्थी एवं अप्रार्थी के  
 प्रमाण मिला जाना है कि आरजी नं 2033/4.72  
 के अन्तर्गत पर भीड़ अतिक्रमण नहीं करे तथा

उपस्थित  
 हुम (भारतपुर)

दिनांक क्रम	अंतरिक्ष/चक्र हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/1/22	साथ ही नम्बर अनुसार Railway Underpass के इलाक दिशा में लगे हुए कान बरटे पर की कीड़े व्यवस्था में नही है दिनांक 29/1/22 के जारी T.I. लेखीयट के नियम अनुसार मैफिज जारी है नियम सरे इलाका सुगाया गया प्रकल्पी फैसल सुगाय है नम्बर 1 क्रम है।	